UPLK060027712022

न्यायालय CIVIL JUD.(JD)HAWALI, Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (SHOBHIT RAY), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02498**

Misc. Civil Cases/628/2022

ROBIN SRIVASTAVA Vs. LATE AJAY KUMAR SRIVASTAVA

दिनांकः 12.11.2022

पत्रावली आज वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र ख–3 राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थना पत्र ख–3 पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र ख–3 अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक पिता अजय कुमार श्रीवास्तव की प्रार्थना के पृष्ठ ख–3/4 में वर्णित जमा धनराशि रूपया 5,00,000.00(रूपया पॉच लाख मात्र) के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपने पक्ष में जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक का कथन है कि आवेदक के पिता अजय कुमार श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 19.04.2021 को हो गयी थी। मृतक अजय कुमार श्रीवास्तव के वारिसान के रूप में आवेदक के अतिरिक्त खुशबू, शिखा एवं कागज है। आवेदक के पिता द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नही की गयी है ओर न ही प्रोबेट की कार्यवाही बावत जायदाद किसी न्यायालय में लम्बित है। अतः उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची ग–8/1 से ग–8/2 बीमा रसीद, ग–8/3 ता 4 मृत्यु प्रमाण पत्र, ग–8/5 पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, ग–8/6 पत्र एवं अनापत्ति दाखिल किया गया है

आवेदक की ओर से शपथ पत्र ग–3/5 दाखिल कर प्रार्थना पत्र के कथनों का समर्थन किया गया है तथा अन्य वारिसनों की ओर से अनापत्ति दाखिल की गयी है।

उक्त प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अजय कुमार श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 19.04.2021को हो चुकी है।

जरिये नोटिस तामीला कराया गया,जिसका प्रकाशन समाचार पत्र में हरखास व आम को कराया गया जो पत्रावली पर विद्यमान है।

आवेदक द्वारा अन्य सम्भावित व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जा चुका है, किसी द्वारा कोई आपत्ति नही दाखिल की गयी है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थना के पृष्ठ ख–3/4 में वर्णित जमा धनराशि रूपया 5,00,000.00(रूपया पॉच लाख मात्र) मय ब्याज के सम्बन्ध में आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ख–3 स्वीकार किया जाता हैं। आवेदक रोबिन श्रीवास्तव के पक्ष में प्रार्थना के पृष्ठ ख–3/4 में वर्णित जमा धनराशि रूपया 5,00,000.00(रूपया पॉच लाख मात्र) मय ब्याज के सम्बन्ध में निर्धारित देय न्यायशुल्क अदा किये जाने एवं अंडरटेकिग इस आशय का कि यदि भविष्य में कोई व्यक्ति उपरोक्त सम्पत्ति के विषय में अपना दावा प्रस्तुत करेगा तो आवेदक/प्रार्थी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी, का दाखिल करने पर नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्मत किया जाये।

दिनांकः 12.11.2022

(शोभित राय)
सिविल जज(जू0डि0)हवाली
लखनऊ।